




भागलपुर समाहरणालय

(जिला आपूर्ति शाखा)



आदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अधिसूचना संख्या 4109 दिनांक 18.08.2017 से अधिसूचित "बिहार खाद्य सुरक्षा शिकायत निवारण नियमावली 2017" के क्रियान्वयन एवं व्यथित व्यक्तियों के शिकायतों का प्रभावी निवारण करने के लिए श्री राजेश झा "राजा" अपर समाहर्ता (राजस्व), भागलपुर को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी (DGRO) भागलपुर के रूप में पदाभिहित किया जाता है तथा निदेश दिया जाता है कि वे अधिनियम अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के आलोक में कार्यों का सम्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

30/-

जिलाधिकारी
भागलपुर

ज्ञापांक...../आ0 दिनांक.....।
प्रतिलिपि :- श्री राजेश झा "राजा" अपर समाहर्ता, (राजस्व)-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी (DGRO)/उप विकास आयुक्त, /अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच) निदेशक (DRDA) /सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, / जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, /जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी मध्याह्न भोजन/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर नवगछिया/कहलगाँव /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी /सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, भागलपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/-

जिलाधिकारी
भागलपुर

ज्ञापांक...../आ0, दिनांक.....
प्रतिलिपि :- आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल भागलपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

30/-

जिलाधिकारी
भागलपुर

ज्ञापांक...444...../आ0, दिनांक...24.6.2019
प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लायज कारपोरेशन लिमिटेड, बिहार पटना/सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिलाधिकारी
भागलपुर